फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

रामनारायण वगै0 बनाम लक्ष्मीनारायण वगै0

दमा नं0 :—196 / 2022

या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	06.06.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। शेष अप्रार्थी सं0 1 लगातय 7 व 9 लगायत 16 एवं 18 लगायत 22 अनु0। इनको बार—बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया लेकिन उपस्थित नही। अतः शेष अप्रार्थी सं0 1 लगातय 7 व 9 लगायत 16 एवं 18 लगायत 22 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील उभय पक्षो की मजीत बहस सुनी गई तथा पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र, तहसीलदार रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझते है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू—राजस्व अधि0 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार आंधी को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण की ग्राम आंधी, पटवार हल्का आंधी, तहसील आंधी, जिला जयपुर में स्थित भूमि खाता सं0 518 के खसरा नम्बर 385 रकबा 0.6400है0, खसरा नम्बर 460 रकबा 0.3185है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.9585है0 व खाता सं0 244 के खसरा नम्बर 413 रकबा 0.0726है0, खाता सं0 521 के खसरा नम्बर 380 रकबा 5.2400है0, खसरा नम्बर 386 रकबा 1. 6100है0 कुल किता 2 कुल रकबा 6.8500है0 में यदि मौके पर फसल न हो एवं कोई स्थगन आदेश न हो तो प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगणों की मौजूदगी में पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें। पत्थरगढी की आड में बेदखली की कार्यवाही नही की जावें। अगर किसी पडौसी खातेदार द्वारा आपत्ति करते है तो उन्हे सुनवाई का उचित अवसर प्रदान कर पत्थरगढी की कार्यवाही की जावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार को भिजवाई जावें। निर्णय आज खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों। (ललित मीना) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	